Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
(A National Multidisciplinary bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 03, July-September, 2026, pp. 101-105

म.प्र. में अपराध रोकथाम में पुलिस के समक्ष चुनौतियाँः एक अध्ययन

इंद्रलाल पटेल[1*] एवं डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह[2]

[1]शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.), शोध केन्द्र–पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
[2]पर्यवेक्षक, प्रभारी प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।

[*]Corresponding Author: indralalpatel2013@gmail.com

***Citation**: पटेल, इदंद्रलाल एवं सिंह, पुष्पेन्द्र (2026). म.प्र. में अपराध रोकथाम में पुलिस के समक्ष चुनौतियाँः एक अध्ययन. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(03), 101–105. https://doi.org/10.62823/JMME/16.03.9360*

ABSTRACT

किसी भी आधुनिक राज्य में अपराध की रोकथाम पुलिस का मुख्य कर्तव्य है। इसके बिना राज्य को गति देना कठिन नहीं बल्कि मुश्किल भी है। भौगोलिक रूप से भारत का केंद्र–बिंदु होने के नाते, मध्य प्रदेश को अपराध नियंत्रण और निवारण के क्षेत्र में कई संरचनात्मक, प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह शोध पत्र मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का कानूनी विश्लेषण करता है, जैसे कि मानव संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रक्रियात्मक कमियाँ, साइबर अपराध में वृद्धि, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों की उच्च दर, और नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाइयाँ। संविधान, पुलिस अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि केवल विधिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं; संस्थागत सुधार, प्रशिक्षण, संसाधनों को बढ़ाना और जवाबदेही की संस्कृति भी आवश्यक है।

***शब्दकोशः** मध्य प्रदेश पुलिस, अपराध रोकथाम, पुलिस सुधार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानव संसाधन, साइबर अपराध।*

प्रस्तावना

अपराध की रोकथाम पुलिस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है, जिसे मुख्य रूप से पुलिस तंत्र के माध्यम से पूरा किया जाता है।

क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अंतर–राज्यीय अपराधों का केंद्र बनाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के मामले में यह राज्य लगातार अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, अपराध की रोकथाम में पुलिस के सामने चुनौतियाँ और अधिक जटिल हो गई हैं।

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

अपराध की रोकथाम केवल अपराध होने के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसमें निवारक गश्त, खुफिया जानकारी जुटाना, समुदाय के साथ जुड़ाव, संभावित अपराधियों पर निगरानी और सामाजिक–आर्थिक कारकों की समझ शामिल है। मध्य प्रदेश जैसे विविध और विशाल राज्य में, ये सभी कार्य महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं। यह अध्ययन कानूनी दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करता है और व्यावहारिक सुझाव देता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- मध्य प्रदेश में अपराध रोकने के क्षेत्र में पुलिस के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों की पहचान करना।
- कानूनी और संवैधानिक नज़रिए से इन चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- नए आपराधिक कानूनों (BNS और BNSS) को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों की जाँच करना।
- व्यावहारिक और कानूनी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्य रूप से सेकेंडरी स्रोतों पर आधारित है। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, BPR–D का डेटा, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के दस्तावेज़, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले, विधानसभा के रिकॉर्ड और समकालीन समाचार विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया है। यह अध्ययन गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का पालन करता है। प्राथमिक फ़ील्ड सर्वे का न होना इस अध्ययन की एक सीमा है; हालाँकि, सेकेंडरी स्रोतों से पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश पुलिस के सामने मुख्य चुनौतियाँ

अपराध रोकने में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने मुख्य चुनौतियों में मानव संसाधनों की भारी कमी शामिल है, जिसमें प्रति लाख आबादी पर लगभग 138 कर्मियों का कम पुलिस–जनसंख्या अनुपात, लगभग 20,000 खाली पद और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बल शामिल है, जो निवारक गश्त और जाँच की गुणवत्ता में बाधा डालता है। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस की स्वायत्तता को कमज़ोर करता रहता है, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई, पोस्टिंग और तबादले प्रभावित होते हैं। पुलिस कर्मियों पर बढ़ते हमले, जिनमें पुलिस स्टेशनों के अंदर की घटनाएँ और भीड़ द्वारा हिंसा शामिल है, ने मनोबल और संस्थागत विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया है। नए ठछै के तहत प्रक्रियात्मक कमियाँ, जैसे धाराओं का गलत इस्तेमाल, कस्टडी की चेन में रुकावट, फोरेंसिक में देरी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों और च्व्ब्ब् मामलों में कमज़ोर चार्ज–शीट, मुक़दमे को कमज़ोर करती हैं। साइबर अपराधों में तेज़ी से वृद्धि सीमित तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षित कर्मियों के कारण अतिरिक्त कठिनाइयाँ पैदा करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों की उच्च दर, साथ ही औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित पुराना कानूनी ढाँचा, राज्य में प्रभावी अपराध रोकथाम की चुनौतियों को और बढ़ा देता है।

मानव संसाधन की भारी कमी

मध्य प्रदेश में पुलिस–जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 138 पुलिसकर्मी हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 38 पुलिसकर्मी हैं, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। लगभग 20,000 स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। यह कमी ग्रामीण इलाकों में और भी गंभीर है, जहाँ कई पुलिस स्टेशन और चौकियाँ स्वीकृत संख्या के आधे से भी कम कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं। नतीजतन, गश्त, त्वरित कार्रवाई और अपराध–रोकथाम की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है। जब एक ही कर्मचारी कानून–व्यवस्था और जांच–पड़ताल, दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो जांच की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वीआईपी सुरक्षा और

अन्य गैर–मुख्य कार्यों के लिए बल की तैनाती इस कमी को और बढ़ा देती है।

मानव संसाधन की कमी का सीधा असर अपराध रोकने पर पड़ता है। जब पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होता, तो एहतियाती गश्त कम हो जाती है, जिससे संभावित अपराधियों में डर कम हो जाता है। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रमोशन में असंतुलन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता की कमी

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे, जिनमें निश्चित कार्यकाल, एक स्वतंत्र पुलिस स्थापना बोर्ड और राज्य सुरक्षा आयोग शामिल थे। हालाँकि, मध्य प्रदेश में इन निर्देशों का पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू होना अभी बाकी है।

राजनीतिक दबाव के कारण संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। पोस्टिंग और ट्रांसफर में राजनीतिक सिफारिशों का असर पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिराता है और संस्थागत निष्पक्षता को प्रभावित करता है। जब अधिकारियों को लगता है कि उनके कार्यों के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, तो वे अपराध रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के बजाय बचाव का रवैया अपनाते हैं।

पुलिसकर्मियों पर हमले और मनोबल की समस्या

हाल के वर्षों में, मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस स्टेशनों के अंदर गोलीबारी और भीड़ द्वारा हिंसा (लिंचिंग) की घटनाएं पुलिस की छवि और मनोबल, दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस करती है, तो अपराध रोकने में उनकी सक्रियता स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तत्वों द्वारा पुलिस पर दबाव डालने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि एक संस्था के रूप में पुलिस की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती जा रही है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य बनता है; नहीं तो, अपराध रोकने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और अपराध बढ़ता जायेगा।

प्रक्रियात्मक कमियां एवं जांच की गुणवत्ता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के बाद, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने, तलाशी और ज़ब्ती से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में प्रक्रियात्मक कमियों को लेकर कई मामलों में कड़ी टिप्पणियां की हैं। धाराओं का गलत इस्तेमाल, सबूतों की कस्टडी की चेन में रुकावट और फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी से अभियोजन पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध और पॉस्को (POCSO) मामलों में हल्की धाराएं लगाने की भी शिकायतें आई हैं, जिससे आरोपी को ज़मानत मिल जाती है। इससे न सिर्फ़ पीड़ित के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि अपराध रोकने का मुहिम भी बेअसर हो जाता है। जांच अधिकारियों में कानूनी जानकारी और प्रक्रियात्मक समझ की कमजोरी इस समस्या को और अधिक बढ़ा देती है।

साइबर अपराध का बढ़ता हुआ रूख

साइबर अपराध मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक नई प्रकार की गंभीर चुनौती बनकर सामने आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की बहुत कमी है। हालांकि 'सेफ क्लिक' जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जांच की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। साइबर अपराधों के अंतर–राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के कारण पारंपरिक पुलिसिंग के तरीके नाकाफी साबित होते हैं। डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने, फोरेंसिक विश्लेषण और अन्य–अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल की ज़रूरत इन मामलों को और जटिल बना देती है।

अपराध की कुछ खास श्रेणियों में चुनौतियां

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामलों में प्रमुख राज्यों में शामिल रहा है। रेप के मामलों में बढ़ोतरी सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से भी जुड़ी है, फिर भी जांच और रोकथाम दोनों में पुलिस की भूमिका अहम बनी हुई है। आदिवासी बहुल इलाकों में भरोसे की कमी और भौगोलिक चुनौतियां पुलिसिंग को और मुश्किल बना देती हैं। इन इलाकों में समुदाय की भागीदारी और संवेदनशील पुलिसिंग की खास ज़रूरत है।

विधिक ढांचे से जुड़ी चुनौतियां

भारतीय पुलिस आज भी मुख्य रूप से पुलिस एक्ट, 1861 के तहत काम करती है, जो ब्रिटिश काल की देन है। मॉडल पुलिस एक्ट, 2006 पर आधारित राज्य–स्तरीय आधुनिक पुलिस कानून की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस सुधार की दिशा में प्रगति धीमी रही है। एक आधुनिक कानून न केवल पुलिस को ज़्यादा जवाबदेह बनाएगा, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

विधिक विश्लेषण

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, राज्य की यह सकारात्मक ज़िम्मेदारी है कि वह नागरिकों को अपराध से बचाए। उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न करना या लापरवाही बरतना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अपराध की रोकथाम सिर्फ़ आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं है; यह मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक ज़रिया भी है।

प्रकाश सिंह मामले में जारी निर्देशों का पालन न करना अपने आप में एक कानूनी चुनौती है। इसी तरह, BNSS प्रावधानों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट की चेतावनियां यह बताती हैं कि प्रक्रियात्मक अनुशासन कमज़ोर है। जांच में प्रक्रियात्मक गलतियां न केवल आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करती हैं, बल्कि पीड़ित को न्याय मिलने में भी बाधा डालती हैं।

इसके अलावा, पुलिस बल में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संवेदनशील जांच में बाधा पैदा करती है। पुलिस स्टेशनों में महिला अधिकारियों की कमी से पीड़ितों के लिए रिपोर्ट दर्ज कराना कठिन हो जाता है। समानता के संवैधानिक सिद्धांत के तहत, यह ज़रूरी है कि पुलिस व्यवस्था समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध एवं संवेदनशील हो।

सुझाव और सिफारिशें

ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर, ये सुझाव दिए जाते हैं:

- खाली सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए और पुलिस की व्यवस्था नागरिकों के संख्या अनुपात को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निश्चित किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समय–सीमा के भीतर पूरी होने होनी चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, खासकर राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड के संबंध में।
- ठछै और ठछै के प्रावधानों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, और प्रक्रियात्मक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- साइबर अपराध जांच इकाइयों का विस्तार किया जाना चाहिए और ग्रामीण इलाकों में भी तकनीकी क्षमता विकसित की जानी चाहिए।
- महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और 'माइक्रो–बीट' प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए।
- पुलिस को अधिक जवाबदेह, पेशेवर और नागरिक–केंद्रित बनाने के लिए एक आधुनिक राज्य पुलिस अधिनियम बनाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को पुलिस के प्रति सभी प्रकार सुविधा सुलभ होना चाहिए जिससे उनके मानसिक एवं मनोबल बेहतर रहे।
- पुलिस को स्वयं न्यायालय नहीं हो जाना चाहिए।

उपसंहार

मध्य प्रदेश में अपराध रोकने के मामले में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ सिर्फ़ संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका संबंध संस्थागत स्वायत्तता, प्रक्रियात्मक अनुशासन, प्रशिक्षण, सामाजिक भरोसे, सुविधाओं का अभाव और बेहतर शिक्षा की कमी से भी है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से प्रक्रियात्मक मानक अधिक ऊंचे हुए हैं, जिससे पुलिस की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत की आवश्यकता हो रही है।

अपराध रोकना सिर्फ़ पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरी शासन व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है। आम जनता का भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है इसके बिना राज्य को चलाना कठिन नहीं बल्कि मुश्किल भी है। अगर पुलिस को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण, स्वायत्तता और जवाबदेही मिले, तो मध्य प्रदेश में अपराध रोकने की स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। कानूनी सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी ज़रूरी है। सिर्फ़ कानून बनाने से समस्या हल नहीं होगी; असल बदलाव तो उन्हें लागू करने और लगातार निगरानी रखने से ही आ सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. भारत का संविधान, 1950.
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023.
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023.
4. पुलिस अधिनियम, 1861.
5. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, (2006) 8 SCC 1.
6. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय (धर्मेंद्र लोधी और अन्य मामलों सहित)।

द्वितीयक स्रोत

7. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), भारत में अपराध रिपोर्ट (2022–2024).
8. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR–D) की रिपोर्टें.
9. मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 (गृह मंत्रालय).
10. द हिंदू, "मध्य प्रदेश पुलिस के लिए दोहरी चुनौतियाँ", 12 मई 2025.
11. फ्री प्रेस जर्नल और अन्य समाचार स्रोतों में प्रकाशित मध्य प्रदेश पुलिस पर रिपोर्टें.
12. मध्य प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड और गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े.
13. शोधगंगा पर उपलब्ध संबंधित शोध प्रबंध.
14. इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़ 18 और अन्य विश्वसनीय समाचार स्रोतों की रिपोर्टें।

❑❑❑